भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1322

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश को बकाया जीएसटी मुआवजा

1322. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की, विशेष रूप से राज्यों को अनुदान के संबंध में, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश को जारी 'राजस्व घाटा अनुदान' एवं 'पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता' की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) राजमुंदरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण 'पोलावरम' राष्ट्रीय परियोजना के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को सभी लंबित केंद्रीय धनराशि एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया राशि को शीघ्र जारी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (15वें एफ़सी) द्वारा अपनी रिपोर्ट में 2021-22 से 2025-26 की अधिनिर्णय अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय करों (कर अंतरण) और सहायता अनुदान अर्थात अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकाय अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान में राज्यों के हिस्से से संबंधित सिफाररिशों को स्वीकार कर लिया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश को जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

घटक	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (02.12.2025 तक)**
केन्द्रीय करों में हिस्सा	35,386	38,177	45,711	52,080	37,903
एफ़सी अनुदान*	21,342	13,174	9,641	4,796	2,434
कुल	56,728	51,351	55,352	56,876	40,337

*इसमें अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडीजी) शामिल है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वर्ष) और 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश को पीडीआरडीजी की सिफारिश नहीं की।

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' के तौर पर 3,492 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग): भारत सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार को 'पोलावरम' राष्ट्रीय परियोजना के लिए अभी तक 20,659 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ): वित्त मंत्रालय, संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान जारी करता है, जो संस्तुत सहायता अनुदान के प्रत्येक घटक से जुड़े यथानिर्धारित निर्देशों को पूरा करने के अधीन है। आज की तारीख के अनुसार 15वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान जारी करने के संबंध में इस मंत्रालय के पास जारी करने के लिए कोई अनुदान लंबित नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से होने वाले राजस्व घाटे के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को पांच वर्ष अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृत जीएसटी की पूरी धनराशि पहले ही जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से होने वाली अंतिम क्षतिपूर्ति भी आंध्र प्रदेश राज्य को जारी कर दी गई है। अतः, आंध्र प्रदेश राज्य को जारी किए जाने हेतु कोई जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान लंबित नहीं है।

*****